Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities
eISSN: 2589-7799
2023 December; 6 (9s): 2165-2167

प्रेस कानून

– प्रो. मीना शर्मा

वर्तमान समय में प्रेस को लोकतन्त्र का चौथ स्तम्भ कहा जाता है। लेकिन राजतन्त्र के तीन स्तम्भों की भाँति चौथा स्तम्भ यानी प्रेस सरकार के न तो अधीन है और न ही सरकार के आदेशों के अन्तर्गत स्थापित तन्त्र। वस्तुतः यह जनता का स्वयं निर्मित और स्थापित स्तम्भ है। दरअसल प्रेस के कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और साथ ही दायित्व भी, अतः इसे जनहित का सबसे अहम संरक्षक तन्त्र स्वीकार किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश की कानून–व्यवस्था का प्रभाव किसी भी समाचार–पत्र और पत्रकार पर उसी तरह पड़ता है जैसे एक सामान्य नागरिक पर पड़ता है। हमारा देश लोकतन्त्र में विश्वास करता है। एक लोकतान्त्रिक देश में भी सभी को समान अधिकार होता है । यहाँ एक पत्रकार और नागरिक को अभिव्यक्ति की समान स्वतन्त्रता मिलती है। यह अलग बात है कि इस स्वतन्त्रता के प्रयोग में एक सामान्य नागरिक से अधिक दायित्व एक पत्रकार का होता है। इसका कारण यह है कि एक पत्रकार की अभिव्यक्ति की पहुँच ज्यादा विस्तृत हाते ी है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने विचार प्रकट करता है और प्रेस भी अपने विचारों को प्रकट करती है। विचारों को प्रकट करना सभी को लोकतान्त्रिक अधिकार हाते ा है। लेकिन संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता। संविधान की उपेक्षा कर मनमाने ढंग से टीका–टिप्पणी करना उचित नहीं। प्रेस को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रेस की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनसे वह आँखें नहीं चुरा सकती। संविधान के अनुच्छेद–19 के द्वितीय खण्ड में प्रेस से सम्बन्धित सभी प्रतिबन्धों को परिभाषित किया जाता है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और वाक् स्वन्त्रता दोनों को ही केन्द्र बिन्दू मानकर चलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, एक आजादी को पसन्द करने वाले समाज का अधिकार है। इसका अर्थ यह भी है कि समाज के हर नागरिक को जानकारी लेने–देने और उसे समाज में प्रसारित करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन इस अधिकार का यह मतलब कतई नहीं है कि इस अधिकार का कोई गलत और नाजायज फायदा उठाए। अगर ऐसा होता है तो कानून ऐसे किसी भी अधिकार पर पाबन्दी भी लगा सकता है। सामान्य नागरिक का ऐसा कोई भी अधिकार जिससे समाज को फायदा पहुँचने की बजाए नुकसान पहुँचने की सम्भावना हो तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक के आधार पर ऐसे अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। एक बात जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वह यह कि आपात स्थिति में ऐसे किसी अधिकार की सांविधानिक गारन्टी की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अतः यदि देश में आपातस्थिति की सम्भावना बढ़ती है तो वाक् स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कानूनी और सांविधानिक तौर पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1965 के अनुसार प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा हो तथा समाचार समितियों और साथ ही समाचार पत्रों के स्तर में गिरावट न आने पाए, उनके स्तर में उन्नति हो। प्रेस की स्वतन्त्रता को आघात पहुँचाने वाली कई स्थितियाँ हो सकती हैं। इनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। जहाँ तक प्रेस की स्वतन्त्रता का सवाल है, उस पर किसी भी प्रकार के तनाव, दबाव आदि चाहे यह प्रभाव और दबाव किसी भी रूप में क्यों न हो, यह सब प्रेस काउंसिल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। अगर प्रबन्ध–व्यवस्था की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप हाते ा है, चाहे वह सम्पादक के साथ हो, या किसी ओर के साथ, तो यह प्रेस की स्वतन्त्रता पर खतरा होता है। ऐसे में प्रेस काउंसिल का दायित्व बन जाता है कि ऐसे किसी भी मामले की जाँच करे और प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए हर सम्भव प्रयास करे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है कि बेशक प्रसे सरकारी प्रभाव से बाहर क्यों न हो लेकिन यदि वह कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करती है तो प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्धों का प्रावधान भी है। भारत का संविधान इसकी स्वीकृति देता है। पत्रकारिता से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता से जुडे किसी भी शख्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके किसी कृत्य से न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। न ही किसी का अपमान हो अथवा किसी भी प्रकार की मानहानी की सम्भावना न होने पाए। कॉपीराइट ऐक्ट का ध्यान भी रखा जाना आवश्यक होता है अन्यथा कानून में इसके लिए उचित दण्ड का प्रावधान है। मानहानि किसी भी पत्रकार को मानहानि के कानून से सावधान रहने की अत्यन्त आवश्यकता होती है। उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि उससे किसी भी प्रकार से किसी की मानहानि न होने पाए। यदि ऐसा होता है तो भारतीय दण्ड संहिता में इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अनुसार इसके लिए दो वर्ष तक क कारावास की सजा का प्रावधान है।

मानहानि –

किसी भी पत्रकार को मान हानि के कानून से सावधान रहने की अत्यन्त आवश्यकता होती है। उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि उससे किसी भी प्रकार से किसी की मानहानि न होने पाए। यदि ऐसा होता है तो भातरीय दण्ड संहिता में इसके लिए कठोर सजा काप्रावधान रखा गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अनुसार इसके लिए दो वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। किसी भी पत्रकार को इस सन्दर्भ में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए–

1. किसी भी व्यक्ति के पेशे, पद अथवा व्यवसाय के सम्बन्ध ऐसे प्रकाशन से बचना चाहिए जिससे उससे जुड़े किसी व्यक्ति की गरिमा, उसके मान–सम्मान को आघात पहुँचे। किसी भी व्यक्ति के पद की गरिमा के विरूद्ध कुछ भी छापना, लिखना आदि अपमानजनक कृत्य की आशंका में आता है। इससे सम्बन्धित व्यक्ति की बदनामी फैलने की आशंका होती है। अतः ऐसे लेख अपमान जनक समझे जाते हैं।
2. ऐसे किसी भी वक्तव्य से पत्रकार को बचना चाहिए, जिससे किसी की वैयक्तिक ख्याति को हानि पहुँचने की सम्भावना हो अथवा उससे लोगों के घृणा की सम्भावना बनती हो अथवा किसी के चरित्र पर बेवजह दोषारोपण होता हो, जबकि वह बात पूर्णत गलत है। ऐसे कृत्य से कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से तिरस्कार का पात्र बन सकता है। यानी झूठी अफवाह से किसी व्यक्ति को समाज में निन्दा का पात्र बनना पड़े, ऐसे किसी भी कार्य से पत्रकार को सजग रहने की नितान्त आवश्यकता होती है।
3. किसी व्यक्ति की तुलना ऐसे किसी पशु, जीव इत्यादि से करना जिससे लोगों को डर लगता हो या घृणा होती हो, तो समाज के कुछ लोग उस सम्बन्धित व्यक्ति से दूरी बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। जैसे किसी को साँप बता देना या सूअर, कुत्ता आदि लिख देने से अमुक व्यक्ति की मानहानि होती है। पत्रकार को ऐसी बातों से बचना चाहिए। किसी प्रसिद्ध लेखक के नाम के साथ कोई हास्यास्पद बात लिख दी जाए तो वह लेखक समाज में हँसी का पात्र बन जाता है, जिससे उसका अपमान होता है और मानहानि होती है।
4. कभी–कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के जन्म, विवाह आदि के सम्बन्ध में गलत सूचनाएँ छप जाती हैं। ऐसे सभी लेख व्यक्ति के अपमान का कारण बनती हैं। इसके अलावा व्यक्ति के नाम में वर्तनीगत् अशुद्धि से भी उसकी मानहानि होती है। इससे व्यक्ति के सम्बन्ध में गलत धारणाएँ बनती हैं और भ्रांतियाँ फैलती हैं। यह सब मानहानि के अन्तर्गत ही आता है। विधानमण्डल की अवमानना – पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों (पत्रकारों) को संसदीय गतिविधियों, विधानमण्डलों की कार्यवाहियों अथवा गतिविधि के मामले में विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता होती है। संसद अथवा विधानमण्डलों की गतिविधियों के प्रकाशन में पत्रकारों को अत्यन्त सजग रहना चाहिए। दरअसल संसद की कार्यवाही अधिनियम, 1956 के अनुसार संसद अथवा विधानमण्डलों की समस्त गतिविधियों अथवा कार्यवाहियों के प्रकाशन का सार्वजनिक भलाई के उद्देश्य से किए जाने का कानून में प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रकाशन पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जा सके। यानी संसद अथवा विधानमण्डल अपनी किसी भी तरह की कार्यवाही के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यदि इनके प्रतिबन्धित आदेश का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है तो इसे अवमानना कहा जाएगा और संसद या विधान मण्डल इससे सम्बन्धित अभियुक्त को उचित दण्ड देने का अधिकार रखते हैं। इस बात का पत्रकारों को खास ध्यान रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय संसद और विधान मण्डलों को 'हाउस ऑफ कॉमस' के सभी अधिकार प्राप्त हैं। संसद और विधानमण्डल सदन में हुई किसी भी कार्यवाही के सही अथवा गलत प्रकाशन को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर सकते हैं। यह सब सदन के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस कार्यवाही के प्रकाशन को रोके और किसे प्रकाशित होने दे। इसको समाचार–पत्र विधि जाँच समिति ने 'विधानमण्डल की अवमानना' से इस प्रकार व्याख्यायित किया है–'संसदीय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में यह

सत्य है कि जहाँ विधान मण्डल में वाक् स्वातन्त्र्य है वहाँ विधानमण्डल में किए गए कथनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय कार्यवाहियों के सभी संवाद, चाहे वे पूरे सदन के हों या उसकी किसी समिति के, निषिद्ध हैं और उनके प्रकाशन को विशेषाधिकार का भंग माना जाता है। जहाँ तक सार्वजनिक संवाद सही और उचित हों, प्रत्येक सदन इस सम्बन्ध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता। परन्तु यदि बहस का जान बूझकर भ्रामक और गलत विवरण प्रकाशित किया जाए तो उसे प्रकाशित करने वाले दण्डित कि जाते हैं और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का तकनीकी आधार यह होता है कि सम्वाद प्रकाशित करना विशेषाधिकार भंग करना है। तथापि इस विषय पर कोई लिखित उपबन्ध नहीं है। संसद में किए गए भाषणों से सम्बद्ध विशेषाधिकार ऐसे भाषणों के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले सवादों को स्वतः प्राप्त नहीं हो जाते।'
हालांकि ऐसा नहीं है कि विधानमण्डल विशेषाधिकार हनन और अवमानना के हर प्रश्न पर सजा देता ही है। अक्सर ऐसे अवसर पर यदि सम्बन्धित पत्रकार क्षमायाचना करे और यह विश्वास दिलाय कि उससे यह भूलवश हुआ और भविष्य में वह ऐसी गलती नहीं दोहराएगा तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन एसे ा हर बार नहीं होता और कई बार पत्रकारों को भारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ जाता है। अतः पत्रकारों को विधामण्डलों की किसी भी प्रकार की अवमानना से बचना चाहिए।

न्यायालय की अवमानना

अक्सर समाचार–पत्रों में सिविल और दाण्डिक मामलों से सम्बन्ध खबरे छपती रहती हैं। सम्पादकीय टिप्पणियाँ भी छपती हैं। अदालती मामलों से सम्बन्धित सुनवाई से पहले ही उनके सम्बन्ध में समाचार–पत्रों में कुछ खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं। कभी–कभी ऐसी खबरें भी छपती हैं, जिससे न्याय पर विश्वास डगमगाने लगता है और न्यायाधीशों के बारे में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा तब हाते ा है जब पत्रों में कुछ ऐसी खबरें छपती हैं जो किसी मामले के एक पक्ष का अनुचित ढंग से समर्थन करती दिखती हैं। इससे पत्रकार की मुश्किलें भी बढ़ती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर छापना ही नहीं होता बल्कि न्याय पर ऊंगली उठाना हाते ा है और न्यायाधीश की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाना होता है। वैसे यह बताना बड़ा दुष्कर कार्य होता है कि न्यायालय की अवमानना से क्या अभिप्राय है। यह दुष्कर कार्य इसलिए भी है क्योंकि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा भी निश्चित नहीं की जा सकती। जहाँ तक अवमानना का प्रश्न है तो विधि के अन्तर्गत मुकद्दमे बाजी का पूरा क्षेत्र कवर हो जाता है। वस्तुतः कोई भी ऐसी बात जो न्यायिक प्रक्रिया के स्वातन्त्रय के भाव को कम करती हो या क्षीण करती हो, या विधि में बाधा उत्पन्न करती हो, वह अवमानना के अन्तर्गत ही आती है। न्यायालय की अवमानना को सीधे और सरल रूप में 'न्यायालय की निदा' मान सकते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से की गई हो। न्यायालय की अवमानना को दो प्रकार से देखा जा सकता है पहली प्रत्यक्ष अवमानना दूसरी अप्रत्यक्ष अवमानना। प्रत्यक्ष अवमानना वह होती है जो सीधे–सीधे रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी रिपोर्टर को अदालती कार्यवाही के दौरान अदालत से बाहर कर दिया जाए और वह पत्रकार फिर से वहाँ उपस्थित हो जाए या वह किसी गोपनीय कार्यवाही को प्रकाशित कर दे। यह न्यायालय की प्रत्यक्ष अवमानना होती है। अप्रत्यक्ष अवमानना के अन्तर्गत ऐसी बातें आती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय का अपमान होता है। जैसे यदि अदालती कार्यवाही की झूठी और बेबुनियाद रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाए। इसके अलावा ऐसे लेख प्रकाशित कर दिए जाए जिससे न्याय के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो या उसकी आशंका हो अथवा ऐसी बातें प्रकाशित कर दी जाएँ जिनसे न्यायालय न्यायाधीश, वकील अथवा गवाह आदि की बदनामी होती हो, तो इसे अप्रत्यक्ष अवमानना कहा जाता है।
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को उनकी अवमानना होने पर सजा देने का अधिकार है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को श्कोर्ट ऑफ रिकॉर्डश की संज्ञा दी गई है और अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार भी दिया गया है। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 215 में यह प्रावधान है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए भी सजा देने का अधिकार मिला हुआ है। न्यायालय की अवमानना के लिए छः महीने की साधारण कैद या दो हजार रूपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन यदि अदालत से क्षमा याचना की जाए और न्यायाधीश उससे सहमत हो तो अभियुक्त को दण्ड में छूट दी जा सकती है या उसे छोडा भी जा सकता है। गोपनीय ढंग से की जाने वाली अदालत की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने के विशेषाधिकार किसी भी पत्र को नहीं हैं। यदि ऐसा होता है कि कोई पत्रकार अपने पत्र में अदालत की गोपनीय कार्यवाही को प्रकाशित कर दे तो इसके एवज में उचित दण्ड देने का अधिकार अदालत का होता है। पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक अदालत में चल हरे ममुकद्दमें का कोई अन्तिम और मान्य निर्णय नहीं हो जाता तब तक उसके सम्बन्ध में पत्रकार को कोई निर्णयात्मक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना माना जाता है। इससे पत्रकारों को बचना चाहिए। कॉपीराइट एक्ट –
कॉपीराइट एक्ट को हिन्दी में प्रतिलिप्याधिकार अथवा कृतिस्वाम्य कहा जाता है। दरअसल किसी भी रचना, ग्रन्थ इत्यादि को प्रकाशित करने के लिए अथवा निकालने के लिए या किसी लिखित रचना को पुनर्मुद्रित या सन्शोधित करके उसे फिर से प्रकाशित के अधिकार को कॉपीराइट के नाम से जाना जाता है। कोई भी रचनाकार अथवा लेखक उसकी स्वयं की रचना का किसी भर तरह के अनुवाद अथवा विक्रय का अधिकार भी रखता है। कह सकते हैं कि कॉपीराइट मौलिक रचना में निहित होता है। कॉपीराइट एक्ट यानी प्रतिभिव्याधिकार के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पहलू होते हैं। भारत में कृतिस्वाम्य अधिनियम, 1957 में खास प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के मार्फत, साहित्य, न्याय, चलचित्र, संगीत, रिकॉर्ड, ग्रामोफोन आदि के कापीराइट की रक्षा करने का प्रावधान है। इस नजरिए से रचनाकारों के अधिकारों के प्रति पत्र और साथ ही उनके पत्रकारों को सावधान रहने की आवश्यकता हाते ी है। किसी भी पत्रकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके किसी कदम से कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन न हो। जिस भी रचनाकार लेखक आदि की स्वीकृति के बिना अगर कोई भी व्यक्ति उसकी रचना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है, तो वह सीधे–सीधे कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करता है। इस उल्लंघन के कई रूप हो सकते हैं। कभी–कभी किसी रचना के किसी अंश की बड़ी चालाकी से नकल की जाती है तो कभी–कभी उसकी शब्दशः नकल की जाती है। कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है। अतः पत्रकार को इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक कॉपीराइट की अवधि का प्रश्न है तो मोटे तौर पर लेखक अथवा रचनाकार की सारी जिन्दगी उसे कॉपीराइट का अधिकार प्राप्त रहता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तिथि से साठवर्षों की अवधि तक कॉपीराइट का अधिकार रहता है। अगर एक रचना के दो अथवा अधिक लेखक हों तो प्रावधान यह होता है कि जिस लेखक की मृत्यु बाद में होती है, उसकी मृत्यु से पचास नवों तक उनका कॉपीराइट अधिकार बना रहता है। कॉपीराइट
एक्ट का उल्लंघन होने पर कारावास या जमाना अथवा दोनों हो सकते हैं।

अश्लील प्रकाशन

'अश्लील प्रकाशन' शब्द को परिभाषित करना बड़ा कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि क्या अश्लील होगा, क्या अश्लील नहीं होगा, इसका निर्णय करना आसान नहीं होता। कोई विषय, बात आदि किसी व्यक्ति अथवा समाज के लिए अश्लील हो सकती है, किन्तु वही विषय वही बात किसी दूसरे व्यक्ति, समाज के लिए अश्लील नहीं हो सकती है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अश्लीलता के मापदण्ड और पैमाने बदलते रहते हैं। परन्तु फिर भी कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी बातें हैं, जिन्हें अश्लील कहा जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के कथानानुसार यदि किसी प्रकाशित सामग्री की प्रवृत्ति पाठक के दिमाग को विकृत, भ्रष्ट आदि करती है, और उससे पाठक का मन विचलित अथवा दूषित होता है तो वह सामग्री अश्लील कही जाएगी। इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 293 तथा 294 के अन्तर्गत ऐसे किसी भी प्रकाशन पर रोक लगाई जा सकती है। अश्लील प्रकाशन अधिनियम 1924 के अन्तर्गत दोषी को कठोर या सहज दोनों प्रकार की सजाएँ दी जा सकती हैं। इसके अन्तर्गत तीन माह तक का कारावास दिया जा सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अतः पत्रकार को ऐसे किसी भी प्रकाशन से बचना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में उसे अश्लील प्रकाशन नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह मुसीबत में फंस सकता है। अवैध विज्ञापन से सावधानी

Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities
eISSN: 2589-7799
2023 December; 6 (9s): 2165-2167

विज्ञापन छापने के सन्दर्भ में भी पत्रकारों को सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। यह पत्रकारों का ही दायित्व बनता है कि यदि कोई विज्ञापन अश्लीलता की श्रेणी में आता ही, आपत्तिजनक हो. अवैध हो अथवा किसी भी रूप में प्रकाशन योग्य न हो, तो उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे करता है, अब यदि वही समाज को भटकाव की ओर ले जाएगा तो यह उचित नहीं दण्डित किया जा सकता है। चूंकि पत्रकार समाज को सही रास्ता दिखाने का कार्य होगा। मुद्रण रेखा

किसी भी पत्र के अन्तिम पृष्ठ पर सर्वान्त में प्रेस और मुद्रक के नाम अंकित किए जाते हैं। इसे मुद्रण रेखा कहा जाता है। यह इसलिए होता है कि प्रकाशन सम्बन्धी कोई अपराध यदि हो जाता है तो उत्तरदायी व्यक्ति को उस अपराध के लिए उचित दण्ड दिया जा सके। यदि किसी पत्र में मुद्रण रेखा नहीं दी होती तो उस पर कानूनी रूप से एक हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा छह महीने की कैद अथवा दोनों दिए जा सकते हैं।

पंजीयन

किसी भी पत्र के प्रकाशन से पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसके पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। जो भी सम्बन्धित पत्र का अधिकारी हाते ा है उसे अपने आशय की घोषणा करनी होती है और साथ ही घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी करने होते हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकाशन अथवा मुद्रक को पत्र प्रकाशित करने से पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है।